

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री एस.पी. माथुर अधिवक्ता, चेम्बर 04 राजस्थान हाई कोर्ट बिल्डिंग, जयपुर (राज.)।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 92/2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-08-2025	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी अपने आवेदन-पत्र दिनांक 09.07.2025 में वर्णित सूचना तहसीलदार सहाडा मु० गंगापूर जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li><li>अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार सहाडा मु० गंगापूर से चाही गई है। तहसीलदार सहाडा मु० गंगापूर आर टी आई एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा आवेदन सक्षम अधिकारी-लोक सूचना अधिकारी जो कि उपखण्ड अधिकारी गंगापूर है, के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि त्रुटी पूर्ण है। इसलिए अपीलार्थी की अपील विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो वांछित सूचना के सम्बंध में नवीन आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।</li><li>इसलिए अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचना प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</li></ol> <p>निर्णय आज दिनांक 25-08-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</p>	

